न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 साधना शर्मा, आर0 ए0 एस0
प्रकरण संख्या– 77 / 2018
उनवानः–

हफीज खां पुत्र बशीर खां जाति मुसलमान निवासी पुरानी सराय पुराना शहर धौलपुर
––––– वादी

बनाम

1. नशीर खां पुत्र बशीर खां जाति मुसलमान निवासी पुरानी सराय पुराना शहर धौलपुर
2. रशीद खां पुत्र बशीर खां जाति मुसलमान निवासी इटायपाडा पुराना शहर धौलपुर
3. अख्तरी पुत्री बशीर खां पत्नि बाबू खां जाति मुसलमान निवासी पुरानी सराय पुराना शहर धौलपुर
4. अकबरी । पिसरान लतीफ खां जाति मुसलमान निवासी पुरानी सराय
5. पप्पू । पुराना शहर धौलपुर
6. खलील ।
7. मुन्ना खा जाति मुसलमान निवासी इटायपाडा पुरान शहर धौलपुर
8. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार धौलपुर

–––– प्रतिवादीगण

बाद वास्ते बंटवारा काश्त स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – श्री इकराम खांन एडवोकेट वादी की ओर से

दिनांक 15.10.2024

निर्णय

वादी की ओर से विवादित आराजी खसरा नम्बर 89, 90, 91, कुल किता 3 रकवा 2 बीघा वाके ग्राम मालीपुरा तहसील व जिला धौलपुर का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड बंटबारा किये जाने व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया। दावा राजीनामा के आधार पर दिनांक 06.08.2018 को प्रारंभिक डिक्री किया जाकर बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड बटंवारे के आदेश दिए गए। तथा तहसीलदार धौलपुर से विवादित आराजी के विभाजन प्रस्ताव तलब किये गए। तहसीलदार धौलपुर से विभाजन प्रस्ताव दिनांक 29.09.2020 को प्राप्त हुए जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली दिनांक 23.10.2020 से विभाजन प्रस्ताव पर बहस हेतु लंबित है। वकील वादी द्वारा लगभग 4 वर्ष का समय व्यतीत होने उपरान्त भी विभाजन प्रस्ताव पर बहस नही की गई है। अतः बहस हेतु और समय दिया जाना उचित नही समझते हुए। विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। विभाजन प्रस्तावों पर पक्षकारान की अंगूठा निशानी है। इससे

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

जाहिर है कि विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान की उपस्थिति में तहसीलदार धौलपुर द्वारा तैयार कराए गए है। पक्षकारान की ओर से विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति पेश नही की है। अतः दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः तहसीलदार धौलपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार आ.ख.नं. 90/2 रकवा 10 विस्वा का अकबरी पत्नि लतीफ खां, खलील, मुन्ना, रफीक पुत्रान व अफसफा रिजवाना, फरजाना, रूकसाना पुत्रियान पि. लतीफ खा हि.ब. 4/5 अक्तरी पुत्री वसीर खा हि. 1/5 जाति मुसलमान निवासी इटायपाडा पुराना शहर धौलपुर खातेदार, आ.ख.नं. 89/1 रकवा 6 विस्वा व 90/1 रकवा 4 विस्वा का रशीद खां पुत्र वशीर खा हि. 4/5 अख्तरी पुत्री वशीर खां हि0 1/5 इटायपाडा पुराना शहर धौलपुर खातेदार, ख.नं. 90/4 रकवा 1 विस्वा 91/2 रकवा 9 विस्वा का हफीज खां पुत्र वशीर खां हि. 4/5 अख्तरी पुत्री वशीर खां हि. 1/5 जाति मुसलमान निवासी इटायपाडा पुराना शहर धौलपुर खातेदार तथा ख.नं. 89/2 रकवा 1 विस्वा, 90/3 रकवा 1 विस्वा, 91/1 रकवा 8 विस्वा का रफ्फो पत्नि नशीर खां जाति मुसलमान सा. इटायपाडा पुराना शहर धौलपुर को खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार इन्द्राज किये जाकर खाता एंव लगान पृथक–पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आराजीयात के लगान के 20 गुणा पर देय मुद्रांक शुल्क के स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैशल शुमार होकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर (राज0)